न्यायालय श्रीमती अमृता चौधरी, आर.ए.एस अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 02/2019 (जीसीएमएस संख्याः–2019/00005)

ठाकुरसी मीणा पुत्र स्व0 श्री कानाराम, जाति–मीणा, निवासी–प्लाट नं0–ए–22, अशोक विहार, न्यू बाईपास रोड, गिरधर मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर

अपीलान्ट्,

बनाम

1. काली देवी पुत्री श्री कानाराम पत्नी नामालूम, जाति–मीना, निवासी–ग्राम बिशनपुरा, तहसील–बस्सी, जिला–जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, चाकसू दिनांक 23.01.2013 नामान्तरकरण सं0 434 ग्राम आकोडिया)

उपस्थितः–

1. श्री अशोक शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
3. श्री अजय कुमार मीणा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 की ओर से वरवक्त बहस असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांकः 30.06.2023

ग्राम आकोडिया, की आराजी खसरा संख्या कुल किता 9 रकबा 9.80 हे0 के खातेदार रामनारायण पुत्र श्री भौरीलाल हिस्सा 183/775 बाकी इन्द्राज बदस्तुर जमाबन्दी खाता की विरासत का नामान्तरकरण कालीदेवी पत्नी स्व0 श्री रामनारायण हिस्सा 183/775 बाकी इन्द्राज बदस्तुर जमाबन्दी खाता तहसीलदार, चाकसू द्वारा दिनांक 23.01.2013 को नामान्तरकरण सं0 434 स्वीकृत किया है, जिससे व्यथीत होकर यह अपील प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने से नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गऐ व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जरिऐ अभिभाषक हाजिर आई, वरवक्त बहस असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक श्री अशोक कुमार शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने

से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई साक्ष्य का न तो नोटिस दिया गया और न ही मौके की जांच की गई यदि अपीलान्ट को नोटिस दिया जाता अथवा गांव में स्थाई निवास प्लॉट नं0–ए–22, अशोक विहार, मालवीय नगर, जयपुर पर विरासत की जांच की जाती तो सही स्थिति सामने आ जाती और विधि–विरूद्ध आज्ञा पारित कराने में न तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सफल होती और न ही तहसीलदार, चाकसू अपने पद का दुरूपयोग कर पाते। पटवारी/गिरदावर हल्का/तहसीलदार किसी ने मौके की जांच नहीं की जबकि विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने से पूर्व विरासत की एवं मौके की जांच किया जाना आवश्यक है परन्तु राजस्व कारकूनान व तहसीलदार किसी ने जांच नहीं की अतः विधि–विरूद्ध पारित आज्ञा ना0 सं0 434 निरस्तनीय है। रामनारायण पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल जाति–मीणा; अपीलान्ट ठाकुरसी का सगा ताऊ था, जो अविवाहित था नाऔलाद था ओर उसने अपने छोटे भाई के लड़के मुझ ठाकुरसी के हक में दिनांक 16.03.2005 को नोटरी पब्लिक व गवाहान के समक्ष वादग्रस्त आराजी की वसीयत की है, रामनारायण द्वारा अपीलान्ट के हक में की गई वसीयत प्रथम व अन्तिम थी। रामनारायण ग्राम झालाना, मालवीय नगर में निवास करता था और दिनांक 04.10.2008 को ग्राम झालाना मालवीयनगर में ही मृत्यु हुई है, मृत्यु प्रमाण–पत्र जयपुर नगर निगम द्वारा दिनांक 05.11.2008 को जारी किया गया है जिसमें भी मृतक का स्थाई पता मालवीयनगर दर्ज है। अपीलान्ट का मृतक के जीवनकाल से ही विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा–काश्त रहा है जो आज भी बदस्तुर चला आ रहा है। जब मृतक रामनारायण का विवाह ही नहीं हुआ तो पत्नी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। साजिशी तौर पर कालीदेवी के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 23.01.2013 स्वीकार किया गया है। जिस कालीदेवी से मिलीभगत कर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है वह कालीदेवी तो ग्राम विशनसिंहपुरा की रहने वाली है, जो वर्ष 1989 से ही विधवा पेंशन सरकारी कोष से प्राप्त कर रही है, और आज भी प्राप्त कर रही है। जबकि अपीलान्ट के सगे ताऊ रामनारायण की तो दिनांक 04.10.2008 को मृत्यु हुई है। जब मृत्यु ही वर्ष 2008 में हुई है तो वर्ष 1989 में सरकारी विधवा पेंशन केसे स्वीकृत हो सकती है। वर्ष 2002 में कालीदेवी का अकेले बीपीएल सूची में नाम कैसे हो सकता है। स्थाई निवासी–ग्राम विशनसिंहपुरा की हेसियत से ग्राम विशनसिंहपुरा की बीपीएल सूची वर्ष 2002 में नाम दर्ज है जिसमें पिता का नाम धनाराम दर्ज है। बस्सी विधानसभा निर्वाचन क्षैत्र की निर्वाचक नामावली वर्ष 1980 भाग संख्या 51 के क्रमांक 791 पर काली/काना स्त्री 26 वर्ष दर्ज है, बस्सी विधानसभा क्षैत्र निर्वाचक नामावली वर्ष 1995 भाग संख्या 44 ग्राम विशनसिंहपुरा के

क्रमांक 261 पर काली मीणा/कानाराम दर्ज है। निर्वाचक नामावली वर्ष 2004 भाग संख्या 97 ग्राम विशनसिंहपुरा के क्रमांक 265 पर काली पिता कानाराम दर्ज है, नामावली वर्ष 2009 ग्राम विशनसिंहपुरा क्रमांक 294 पर काली पिता का नाम कानाराम, म0नं0 17 दर्ज है इस प्रकार यह जाहिर है कि वर्ष 2008 रामनारायण की मृत्यु से पूर्व काली देवी के पति का नाम रामनारायण अंकित नहीं है पिता का नाम कानाराम दर्ज है और विधवा पेंशन स्वीकृति में रामनारायण नाम दर्ज है। जो अपीलान्ट का ताऊ नहीं हो सकता क्योंकि अपीलान्ट के ताऊ रामनारायण की मृत्यु तो वर्ष 2008 में ग्राम झालाना, मालवीयनगर में हुई है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं0 01 के हक में खोला गया नामान्तरकरण प्रारम्भ से शून्य है। इस तरह के नामान्तरकरण को निरस्त करवाये जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस प्रकार के नामान्तरकरण को जानकारी होने पर किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। अपीलान्ट को वादग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक होने से पूर्व कभी कोई जानकारी नहीं मिली अपीलान्ट के पिता श्री कानाराम मीणा ही न्यायालयों में, पुलिस में जाकर प्रकरणों की देखरेख करते थे। अपीलान्ट के पिता की भी वर्ष 2017 में मृत्यु हो गई इस कारण अपीलान्ट को वादग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने की कोई जानकारी नहीं हो पाई अपीलान्ट दिनांक 11.02.2019 को तहसील, चाकसू में गया व मृतक रामनारायण पुत्र भौरीलाल की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने के लिऐ पटवारी हल्का व तहसीलदार जी से मिला तो उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण कालीदेवी रेस्पोडेन्ट सं0 01 के नाम पूर्व में ही खौला जाना जाहिर किया तब अपीलान्ट ने दिनांक 13.02.2019 को पटवारी हल्का से नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जिससे यह अपील जानकारी नामान्तरकरण आदेश दिनांक 23.01.2013 से अन्दर मियाद प्रस्तुत है, फिर भी विवाद के निवारणार्थ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चाकसू की आज्ञा दिनांक 23.01.2013 नामान्तरकरण संख्या 434 ग्राम आकोडिया निरस्त फरमाया जावे और अपीलान्ट् के हक में कराई वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने के आदेश फरमाये जावे।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक का कथन है कि पटवारी हल्का ने सजरा खानदान की जांच की है उसी के आधार पर नामान्तरकरण भरकर पेश किया है, पैरदावर ने जांच की है। तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर काली देवी के हक में नामान्तरकरण सही स्वीकार किया गया है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है, जो यह जाहिर करता हो कि मृतक रामनारायण ग्राम आकोडिया

का रहने वाला है या ग्राम झालाना मालवीयनगर का। नामान्तरकरण स्वीकार करते समय कोई विवाद सामने नहीं आया और न ही ठाकुरसी मीणा ने वसीयतनामा नामान्तरकरण हेतु पेश किया ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आज्ञा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ तहसीलदार, चाकसू द्वारा मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट कि "सजरा रामनारायण(फौत)–कालीदेवी(पत्नी)" की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण सं0 434 स्वीकृत अंकित किया है। अर्थात जहां कालीदेवी निवास करती है उस ग्राम विशनसिंहपुरा अथवा जहां ग्राम आकोडिया में वादग्रस्त आराजी स्थित है वहां और यहां तक कि जहां मृतक खातेदार रामनारायण निवास करता था उस ग्राम झालाना, मालवीयनगर में भी किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जाहिर होता है कि केवल मुताबिक वारिस प्रमाण–पत्र के नामान्तरकरण उचित आदेशार्थ पटवारी ने प्रस्तुत किया है। यह वारिस प्रमाण–पत्र न तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर है और न ही पटवारी हल्का/अधीनस्थ तहसीलदार ने यह अंकित किया है कि यह वारिस प्रमाण–पत्र कब और किसके द्वारा और किसके हक में जारी किया गया है। अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपने कथन में जाहिर किया है कि खातेदार मृतक रामनारायण पुत्र भौरीलाल अविवाहित था और उसके कोई औलाद नहीं थी मृतक ने अपने छोटे भाई कानाराम के पुत्र ठाकुरसी के हक में वसीयत की है, परन्तु किसी दीगर ग्राम की कालीदेवी ने साजिसी तौर पर मृतक रामनारायण खातेदार की पत्नी का कथन करते हुऐ फर्जी रूप से नामान्तरकरण खुलवा लिया। अपीलान्ट के अपने कथन कि कालीदेवी न तो ग्राम झालाना, मालवीयनगर की है और न ही वादग्रस्त आराजी जहां स्थित है उस ग्राम की है यह तो ग्राम विशनसिंहपुरा की है। वकील अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजात की प्रमाणित/सत्य प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है, जिन पर सन्देह किये जाने का कोई आधार नहीं है:–

1. प्रशासन गांवों के संग, 2021 में विधवा पेंशन के सत्यापन प्रपत्र में निवासी–विशनसिंहपुरा तहसील–बस्सी अंकित है।
2. जिला कोषाधिकारी, जयपुर द्वारा कालीदेवी को स्वीकृत विधवा पेंशन में पता ग्राम विशनसिंहपुरा तहसील–बस्सी अंकित कर विधवा पेंशन स्वीकृत की है।
3. बी0पी0एल0 सूची वर्ष 2002 में फार्म क्रमांक 8915222 नाम परिवार मुखिया में कालीदेवी और पता ग्राम विशनसिंहपुरा अंकित है।

4. बस्सी विधानसभा निर्वाचक नामावली वर्ष 1980 भाग सं0–51 क्रमांक 791 काली/काना स्त्री 26 अंकित है।
5. बस्सी विधानसभा निर्वाचक नामावली वर्ष 1995 ग्राम विशनसिंहपुरा क्रमांक 261 पर काली भीणा/कानाराम दर्ज है।
6. निर्वाचक नामावली वर्ष 2004 बस्सी विधानसभा के क्रमांक 265 पर काली पिता कानाराम स्त्री 42 वर्ष अंकित है।
7. बस्सी विधानसभा निर्वाचक नामावली वर्ष 2009 ग्राम विशनसिंहपुरा के क्रमांक 294 पर काली पिता का नाम कानाराम म0 संख्या 17 आयु 47 वर्ष अंकित है।

उक्त तथ्यों से यह स्थिति उभरती है कि कालीदेवी न तो ग्राम आकोडिया की निवासनी है और न ही ग्राम झालाना मालवीयनगर की है। वह तो ग्राम विशनसिंहपुरा की है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। जो यह स्पष्ट प्रकट करते हो कि कालीदेवी मृतक खातेदार रामनारायण निवासी ग्राम झालाना, मालवीयनगर की पत्नी है। इसके विपरीत यह स्पष्ट है कि वह ग्राम–विशनसिंहपुरा की है। खातेदार रामनारायण की मृत्यु 04.10.2008 को ग्राम झालाना में होना दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है जबकि कालीदेवी वर्ष, 1989 से ही विधवा पेंशन प्राप्त कर रही है। अतः ऐसी स्थिति में या तो कालीदेवी फर्जी रूप से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही है अथवा वह मृतक खातेदार रामनारायण की पत्नी नहीं है दोनो में से एक कथन सही हो सकता है, दोनो कथन सही नहीं हो सकते। अपील के स्तर पर यह भी तथ्य उभर कर आया है कि मृतक खातेदार ने वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 16.03.2005 को छोटे भाई के लडके ठाकुरसी के हक में की है, जो नोटरी पब्लिक से सत्यापित है। उक्त विवेचन से यह स्थिति जाहिर होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र फौरी जांच कर नामान्तरकरण स्वीकार किया है, जिसमें विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है इसलिये ऐसे नामान्तरकरण को रिकार्ड पर रखा जाना न्यायसंगत नहीं पाते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 23.01.2013 नामान्तरकरण संख्या 434 ग्राम आकोडिया निरस्त किया जाता है और प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार, चाकसू को रिमाण्ड कर निर्देश दिऐ जाते है कि उक्त विवेचनानुसार रिकार्ड पर आये दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रकाश में उभय पक्षों को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/अवसर प्रदान कर दस्तावेजात से उभरी स्थिति की जांच कर गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(अमृता चौधरी)
कलक्टर (द्वितीय)